कार्यालयः— वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

ई—मेलः—dfo-chaibasa@gov.in

पत्रांक— 1076 दिनांक— 29/4/2019

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
झारखण्ड ऊर्जा संचरन निगम लि०
चाईबासा।

विषयः— झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, चाईबासा द्वारा उलीझारी—चाईबासा से गुवा तक ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः— वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक 655 दिनांक 11.04.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि इस प्रमण्डल अन्तर्गत विषयांकित परियोजना से संबंधित आपके द्वारा समर्पित वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव को इस कार्यालय के पत्रांक 896 दिनांक 23.03.2019 द्वारा वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा को अग्रसारित की गई थी। अग्रसारित की गई प्रस्ताव में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के प्रासंगिक पत्र द्वारा चार बिन्दूओं पर त्रुटि निराकरण हेतु निदेशित किया गया है।

जिसमें बिन्दू संख्या 01 का निराकरण आपके स्तर से अपेक्षित है जो निम्नवत् हैः—

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Proposal No FP/JH/TRAN/27672/2017 के अन्तर्गत चाईबासा वन प्रमण्डल अन्तर्गत वनभूमि अपयोजन हेतु पड़ने वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रस्ताव के अनुसार 42.148 हे० है। जबकि आपके पत्र में संशोधित का क्षेत्रफल 42.133 हे० प्रतिवेदन किया गया है, तद्नुसार प्रस्ताव के अभिलेखों में संशोधत नहीं किया गया है। तद्नुसार संशोधन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए।

अतः इस पत्र के साथ प्रस्ताव की सभी आठ प्रति संलग्न भेजते हुये अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित त्रुटि का निराकरण कर प्रस्ताव अविलम्ब समर्पित करें ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक—प्रस्ताव
(आठ सेट में)

आपका विश्वासी
29/4/19
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

29/04/19

3rd234